रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1985/वैशाख 7, 1907
No. 213] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1985/VAISAKHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंककारी प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

अधिसूचनाएं

का. आ. 363(अ) : —केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लिमिटेड की बाबत 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति से तारीख 28 अगस्त, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधीस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाइयों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थिगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि, लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लिमिटेड को मंजूर की गई अधिस्थगन के कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई

समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिशेष के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराशि 2500 रुपए से अधिक नहीं है परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता को जो किसी भी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी;

(2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है;

(3) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व, को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम;

(4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रु. से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी; और

(5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्धे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्धे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रु. से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी;

(ख) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए, अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान, निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान, निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदत्त है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने के पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, अधिस्थगन, की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया हो, आडमानित, विलंगमित या बन्धक या अन्यथा प्रभारित किया गया हो,—

(1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मद्धे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य दशा में, अनुबन्धित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी

उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या सम्भव हो।

[फाईल न. टी. एस.-1/बीओ-III/85]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 27th April, 1985

NOTIFICATIONS

S.O. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi for the period from the close of business on the 27th April, 1985 upto and inclusive of the 28th August, 1985 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company durig the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reerve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, that Bank shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to make, or disburse, any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) a sum not exceeding 25 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 2500 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 27th April, 1985 and realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in repect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500, the permission in writing of the Reerve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds a sum of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 27th April, 1985.

3. The Central Government hereby also directs that the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Lakshmi Cnmmercial Bank Ltd., New Delhi.

5. The Central Government hereby further directs that the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to or interest in, such bills.

6 The Central Government hereby also directs that the Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, may release or deliver goods or securities which may

be pledged hypothecated or mortgaged or otherwise chargd to it against any loan, cash credit or over-draft in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. TS-1|85-BO. III]

का. आ. 364 (अ).—केन्द्रीय सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बैंक ऑफ़ कोचीन लिमिटेड, की बाबत 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति से तारीख 28 अगस्त, 1985 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कंपनी के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि, बैंक ऑफ़ कोचीन लिमिटेड को मंजूर की गई अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना,—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा;

(i) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह सी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिशेष के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह जब तक कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराशि 2500 रुपए से अधिक नहीं है परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता को जो किसी भी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी;

(ii) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है;

(iii) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम;

(iv) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रु. से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी; और

(v) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कंपनी की राय में आवश्यक है परन्तु जहां किसी कलैंडर मास में किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कलैंडर मास के दौरान उस मद के मददे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे मद पर व्यय 2500 रु. से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी;

(ख) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को कारोबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए, अपनी स्थावर संपत्ति का विक्रय, अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3 केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ़ कोचीन लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात बैंक ऑफ कोचीन बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान, निम्नलिखित और संदाय अर्थात बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ़ कोचीन लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों, अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है असंदत्त हैं अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान बैंक ऑफ़ कोचीन लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने के पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक ऑफ़ कोचीन लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया हो आडमानित विलंगित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया हो,—

(i) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(ii) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, तो वे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[फ़ाईल नं. टी. एस. 1/बी.ओ.-III/85]

S.O. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bank of Cochin Ltd. Cochin for the period from the close of business on the 27th April, 1985 upto and inclusive of the 28th August, 1985 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and procedings against that banking company during the period of moratorium subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to the Bank of Cochin Ltd., Cochin, that Bank shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India—

(a) grant any loan of advance, incur any liability, make any investment or agree to make, or disburse, any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) a sum not exceedings 25 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 2500 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 27th April, 1985 and realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessary to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking

company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceeding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 27th April, 1985.

3. The Central Government hereby also directs that the Bank of Cochin Ltd., Cochin, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Bank of Cochin Ltd. Cochin, by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of Cochin Ltd., Cochin, shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of Cochin Ltd., Cochin.

5. The Central Government hereby further directs that the Bank of Cochin Ltd., Cochin, may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Bank of Cochin Ltd., Cochin, may release or deliver goods or securities which may be pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers as the case may be, has been received by the Bank, unconditionally; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. TS|1|85-BO. III]

का. आ. 365(अ).—केन्द्रीय सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड की बाबत 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति से तारीख 29 जुलाई, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि, मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड को मंजूर की गई अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात उपबन्धित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

(i) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराशि 2500 रुपए से अधिक नहीं है परन्तु यह और कि ऐसी कोई राशि ऐसे किसी निक्षेपकर्ता को जो किसी भी रूप में बैंक का ऋणी है संदत्त नहीं की जाएगी ;

(ii) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है असंदत्त रह जाती है ;

(iii) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व, को या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम ;

(iv) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के सम्बन्ध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के सम्बन्ध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रु. से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी ; और

(v) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है परन्तु जहां किसी कलेंडर मास में किसी मद पर कुल व्यय अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्धे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्धे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है और ऐसे मद पर व्यय 2500 रु. से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी ;

(ख) तारीख 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अन्तरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा ।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय अर्थात मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय अर्थात मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है असंदत्त हैं अतिरिक्त संदाय कर सकता है ।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगा परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने के पूर्व पालन किया जा रहा है ।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है ।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया हो आडमानित बिलंगमित या बन्धक या अन्यथा प्रभारित किया गया हो,—

(i) किसी ऐसी दशा में जिसमें यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मद्धे पूर्व संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(ii) किसी अन्य दशा में, अनुबन्धित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसा मात्रा तक जो आवश्यक या सम्भव हो ।

[फाईल न. टी.एस. 1/बी०ओ०-III/85]

वी. के. सिंघल, संयुक्त सचिव

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Miraj State Bank Ltd., Miraj for the period from the close of business on the 27th April, 1985 up to and inclusive of the 29th July, 1985 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium,

subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to the Miraj State Bank Ltd., Miraj, that Bank shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to make, or disburse, any payment whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) a sum not exceeding 25 per cent of the total balance in every Savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 2500 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 27th April, 1985 and realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds a sum of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 27th April, 1985.

3. The Central Government hereby also directs that the Miraj State Bank Ltd., Miraj, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Miraj State Bank Ltd., Miraj, by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Miraj State Bank Ltd., Miraj, shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Miraj State Bank Ltd., Miraj.

5. The Central Government hereby further directs that the Miraj State Bank Ltd., Miraj, may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Miraj State Bank Ltd., Miraj, may release or deliver goods or securities which may be pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. TS|1|85-BO-III]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985